आलमाड
21/1/2022

"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
राजकीय प्राथमिक विद्यालय लिडमाडा	नाम	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद–पत्र = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्वि बाबत

वाद–पत्र नम्बर 276 /2021 GCMS No. 2021/1037

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
04/1/2022	वादी श्री प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाति निवासी लिडमाडा द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत चारणवास में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 ग्राम लिडमाडा पटवार मण्डल आनन्दपुरा के खाता नम्बर 77 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि राजीव गांधी सर्व शिक्षा अभियान लिडमाडा दर्ज है, जो अशुद्व है। वादी का शुद्व नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय लिडमाडा है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज स्कूल प्रारम्भिक चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र/ की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी आनन्दपुरा भू.अ.नि. लिखित एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का [illegible] कर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्व प्रविष्टि [illegible] के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री [illegible] किया जावे। पत्रावली फैसल शु[illegible] होकर दाखि[illegible] हो।	1136-1138

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.31 17:18:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)